

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 275 / 2022(2022 / 740)

1. इकबाल हुसैन पुत्र मोहम्मद हुसैन जाति मुसलमान निवासी जुवाडिया मोहल्ला केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर

—वादी

बनाम

1. अब्दुल गफ्फार पुत्र रहीम बक्ष जाति मुसलमान निवासी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

—प्रतिवादीगण

राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,209 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:—

प्रार्थी वकील :— श्री शिवप्रसाद पारासर, श्री सुशील कुमार माली

पेराकार सरकार :— जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 24.01.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,209 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया जिसमें कस्बा केकडी तहसील केकडी की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2076 से रथाई के खाता संख्या नया-पुराना 3210-449 के खसरा नम्बर 2048 रकबा 1.34 हैक्ट. किस्म बारानी 1 का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 22.11.2022 को जारी कर बटवारा करने हेतु तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार केकडी ने बटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:—

क. स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	इकबाल हुसैन पुत्र मोहम्मद हुसैन जाति मुसलमान सा.देह खातेदार	2048 / 1	0.67	बा.1
		किता 1	रकबा 0.67 हैक्ट	
2	गफ्फार पुत्र रहीम बक्ष जाति मुसलमान सा.देह खातेदार	2048 / 2	0.67	बा.1
		किता 1	रकबा 0.67 हैक्ट	

तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव मे वादी व प्रतिवादी का अलग-अलग हिस्सा चिन्हित किया गया है। तहसीलदार केकडी द्वारा अवगत कराया गया कि वादी इकबाल हुसैन पुत्र मोहम्मद हुसैन मौके पर उपस्थित रहे। वकील पक्षकारान को सुना गया।



उपखण्ड अधिकारी  
केकडी (अजमेर)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार केकडी द्वारा पित बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया। तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार बंटवारा किया जाता है:-

क्र. नं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	इकबाल हुसैन पुत्र मोहम्मद हुसैन जाति मुसलमान सा.देह खातेदार	2048/1	0.67	बा.1
		किता 1	रकबा 0.67 हैक्ट	
2	गफफार पुत्र रहीम बक्ष जाति मुसलमान सा.देह खातेदार	2048/2	0.67	बा.1
		किता 1	रकबा 0.67 हैक्ट	

तहसीलदार केकडी राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना -अपना वहन करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)  
उपखण्ड अधिकारी  
केकडी (अजमेर)  
केकडी,



मूल वाद में अंतिम डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर  
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)  
पीठासीन अधिकारी:- विकास पंचोली (आर.ए.एस)

उनवान

1. इकबाल हुसैन पुत्र मोहम्मद हुसैन जाति मुसलमान निवासी जुवाडिया मोहल्ला केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

--वादी

बनाम

1. अब्दुल गफफार पुत्र रहीम बक्ष जाति मुसलमान निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर  
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

--प्रतिवादीगण

वाद पत्र:- अंतर्गत धारा अन्तर्गत धारा 53,209 राज. काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर:- राजस्व वाद 275/2022 (2022/740)  
निर्णय दिनांक:- 24.01.2023

यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कतई रुबरु श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकड़ी बहाजिरी श्री शिवप्रसाद पारासर वकील वादी पैरोकार सरकार जयें तहसीलदार तहसीलदार केकड़ी हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुकम दिया जाता है वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53,209 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा रवीकार किया जाकर वर्तमान जमाबंदी संवत 2076 से स्थाई के खाता संख्या नया-पुराना 3210-449 के खरारा संख्या 2048 के रकबा 1.34 हैक्टर निर्णय व प्रारम्भिक डिकरी दिनांक 22.11.2022 की पालना में बटवारा प्रस्ताव तहसीलदार केकड़ी द्वारा निम्नानुसार प्रस्तुत किया है-

क्र.स.	नाम खातेदार	खरारा नंबर	रकबा	किस्म
1	इकबाल हुसैन पुत्र मोहम्मद हुसैन जाति मुसलमान सा.देह खातेदार	2048/1	0.67	बा.1
		किता 1	रकबा 0.67 हैक्टर	
2	गफफार पुत्र रहीम बक्ष जाति मुसलमान सा.देह खातेदार	2048/2	0.67	बा.1
		किता 1	रकबा 0.67 हैक्टर	

अतः उपरोक्तानुसार बटवारा रवीकार किया जाता है तहसीलदार केकड़ी राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का अंतिम डिकरी पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करे।

चीज .....मुवलिक.....बाबत.....  
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....  
.....को अदा करे  
वसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.01.2023 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी  
केकड़ी (अजमेर)

मुदरई	रुबया	पैसा	मुदयलाह	रुपया	पैसा
स्टाम्प अजी दावा	0	0	स्टाम्प अजी दावा	0	0
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महानताना वकील			महानताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुकमनामा			बाबत इजराय हुकमनामा		
मुत्फरिफ			मुत्फरिफ		
मोजान	0	0	मोजान	0	0

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिक्केन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

